पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 79

पर्यटन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		104.35	31.19	135.54	104.35	31.19	135.54	112.50	32.21	144.71
पूंजी		*45.65*	*...*	*45.65*	*45.65*	*...*	*45.65*	*112.50*	*...*	*112.50*
जोड़		**150.00**	**31.19**	**181.19**	**150.00**	**31.19**	**181.19**	**225.00**	**32.21**	**257.21**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.72	0.72	...	0.91	0.91	...	0.96	0.96
पर्यटन										
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	...	28.98	28.98	...	28.85	28.85	...	29.73	29.73
3. पर्यटक सूचना और प्रचार										
3.01 देशीय अभियान	3452	7.00	0.20	7.20	11.00	0.20	11.20	14.50	0.20	14.70
3.02 समुद्रपारीय अभियान	3452	51.00	...	51.00	51.00	...	51.00	51.00	...	51.00
	जोड़	*58.00*	*0.20*	*58.20*	*62.00*	*0.20*	*62.20*	*65.50*	*0.20*	*65.70*
4. पर्यटक आधारभूत ढांचा	3452	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
	5452	34.85	...	34.85	36.85	...	36.85	95.00	...	95.00
	जोड़	*39.85*	*...*	*39.85*	*41.85*	*...*	*41.85*	*99.00*	*...*	*99.00*
5. प्रशिक्षण	3452	10.35	0.75	11.10	11.10	0.69	11.79	16.50	0.75	17.25
	7452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*10.35*	*0.75*	*11.10*	*11.10*	*0.69*	*11.79*	*16.50*	*0.75*	*17.25*
6. अन्य व्यय	3452	25.00	0.54	25.54	20.05	0.54	20.59	21.50	0.57	22.07
	5452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*25.00*	*0.54*	*25.54*	*20.05*	*0.54*	*20.59*	*21.50*	*0.57*	*22.07*
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	6.00	...	6.00	6.20	...	6.20	5.00	...	5.00
	4552	8.80	...	8.80	8.80	...	8.80	17.50	...	17.50
8. आईटीडीसी को ऋण	7452	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-पर्यटन		**150.00**	**30.47**	**180.47**	**150.00**	**30.28**	**180.28**	**225.00**	**31.25**	**256.25**
कुल जोड़		***150.00***	***31.19***	***181.19***	***150.00***	***31.19***	***181.19***	***225.00***	***32.21***	***257.21***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
7.01 भारतीय पर्यटन विकास निगम	13452	...	29.50	29.50	...	1.00	1.00	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं - पर्यटन	13452	150.00	29.50	179.50	150.00	1.00	151.00	225.00	...	225.00

1. इसमें विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी जानकारी देना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, मार्गदर्शकों आदि का विनियमन करना है।

3. संवर्धन और विपणन भारत और विदेश में स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नियमित संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, प्रचार सामग्री का उत्पादन, प्रचार माध्यम और जन संपर्क, भारत दर्शन सहस्राब्दी वर्ष, विपणन विकास सहायता स्कीम सहित आतिथ्य और विशेष अभियान वर्ष 2000-2001 से आगे तक प्रारंभ किया गया है। इस योजना, जो इस समय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रचालित की जाती है, के अधीन पर्यटन क्षेत्र में पणधारी और स्टार ट्रेडिंग हाऊस भी बाजार विकास के लिए सहायता लेने के पात्र हैं। इसे पर्यटन "निर्यात गृह" का दर्जा देने के बाद पर्यटन उद्यमों के लिए अनुमोदित किया गया था।

4. यह व्यवस्था पर्यटक रुचि वाले स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं जैसे पर्यटक बंगलों, यात्री निवासों, वन लाजों, मार्ग सुविधाओं, समुद्र के किनारे सैरगाहों, देशान्तर गमन (ट्रैकिंग)/पर्वतारोहण/शरतकालीन जल खेलों से संबंधित उपकरणों, गोल्फ कोर्सों/स्मारकों के पुनर्परिसज्जन की खरीद पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

5. देश में पर्यटन विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का होना अनिवार्य कार्य है। वर्तमान में, होटल प्रबंधक के 21 संस्थान और 13 खाद्य शिल्प संस्थान हैं। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आई.आई.टी.टी.एम.), राष्ट्रीय जल खेल संस्थान (एन.आई.डब्ल्यू.एस.) दो अन्य निकाय हैं, जो पर्यटन के लिए जनशक्ति विकास में शामिल हैं। इसके साथ-साथ, प्रशिक्षण गाईड, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

6. यह व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं को होटलों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान करने के लिए उनके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का भुगतान करने के लिए है।

7. उत्तर-पूर्व में विविध पर्यटन की उपलब्धता से, उस क्षेत्र में पर्यटन विकास का अभूतपूर्व क्षेत्र है। पर्यटन मंत्रालय के बजट आवंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए निर्धारित किया गया है।